



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 127-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 27, 2018 (SRAVANA 5, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2018

संख्या 67/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 के उद्देश्यों और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—

“व्याख्या— इस मद के प्रयोजनों के लिए, ‘कारोबार’ अभिव्यक्ति में ऐसा कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार नहीं आएगा जो कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जिसमें कि वे लोक प्राधिकारियों के रूप में नियोजित हों, द्वारा किया जा रहा हो।”

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2018

No. 67/GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do, for the purpose of clarifying the scope and applicability of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, hereby, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (vi), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation. - For the purposes of this item, the term ‘business’ shall not include any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.